प्रेस विज्ञप्ति जनपद सिद्धार्थनगर दिनॉक 24-02-2023

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर परेड का किया गया आयोजन।

आज दिनांक 24-02-2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनंद के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों पर परेड का आयोजन किया गया। जिसमें थाना प्रभारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई।

प्रेस नोट- थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 24.02.2023

थाना खेसरहा पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा ''अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण व भानु प्रताप सिंह थानाध्यक्ष खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 24-02-2023 को मु0अ0सं0 39/2023 धारा 307,504,506 भा0दिव0 से सम्बन्धित अभियुक्त को बौड़िहार नदी के पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

- 01-प्रमोद उर्फ पिन्टू पुत्र सभापति साकिन बौड़िहार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
- 1.उ०नि० श्री अमित कुमार चौकी प्रभारी कुर्थिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.का० अजीत यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3.का0 अंकित प्रसाद थाना खेसरहा जपनद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 24.02.2023 थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर

थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण, संतोष कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24.02.2023 को कठेला समय माता पुलिस द्वारा वाद सख्या- 14504/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामबेलास पुत्र कुंजी केवट निवासी खखरा थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 01.उ0नि0 अशोक कुमार पाल थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02. आरक्षी धनंजय सिंह यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 24-02-2023 थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर

थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, हरीश चन्द क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण, बलजीत कुमार राव प्रभारी निरीक्षक थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24.02.2023 गोल्हौरा पुलिस द्वारा मु0 अ0 सं0 06/2023 धारा 406/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का विवरण-

01. अमित पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम सोनफेरवा बुजुर्ग थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- 01. उ0नि0 राजाराम यादव थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02. मुख्य आरक्षी समसुद्दीन थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03. मुख्य आरक्षी अशोक यादव थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 24-01-2023 साईबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर

स्वयं को रिश्तेदार बता कर शिकायतकर्ता के खाते से फ्रांड हुए सम्पूर्ण धनराशि ₹40,000 को साइबर सेल सिद्धार्थनगर ने कराया वापस |

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुभाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा शिकायतकर्ता सूरज जायसवाल निवासी ग्राम खरिका पाण्डेय थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता सूरज जायसवाल उपरोक्त के खाते में रि40,000 वापस कराये गए।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

शिकायतकर्ता सूरज जायसवाल ग्राम खरिका पाण्डेय थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को रिश्तेदार बता कर कुल र्40,000 फ्रॉड कर अपने खाता मे जमा करा लेना। शिकायतकर्ता सूरज जायसवाल को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसक साथ फ्रॉड हो गया। उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को तथा साइबर पुलिस पोर्टल 1930 पर दी गई। उक्त शिकायत पर साइबर सेल की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 23/01/2023 को सूरज जायसवाल के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 40,000/- वापस कराया गया। साइबर टीम के सराहनीय कार्य के लिए सूरज जायसवाल द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम-

- 01-निरीक्षक सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- उप0 निरीक्षक हरिओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 06- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।
- 07- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर।

साइबर क्राइम से कैसे बचे-

- 01—साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इक्ट्ठा करते है और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते है। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।
- 02-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्सटैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।
- 03–अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।
- 04—वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https ("s" से सुरक्षित) से शुरु होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।
- 05–ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।
- 06-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।
- 07-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।
- 08-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।
- 09-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/केंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें। 10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 पर सम्पर्क करें।
- �िसाइबर ठगों से सावधान! �� जानकारी और जागरूकता ही बचाव है। #BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

प्रेस नोट दिनांक 24-02-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 24-02-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 03 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है, 01परिवार को बिखरने से बचाने में म0हे0का0 सविता सिंह व म0आ0 अनिशा सरोज व म0 आ0 बिबता सिंह महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

01. सैयलाफा पत्नी परमात्मा निवासी गौनहा थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 24.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या का प्रयास के आरोपियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास व र 1,40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 24-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना ढ़ेबरुआ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 558/2012 धारा 34/307,452,326 भा0द0वि0 व ¾ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सत्र परीक्षण सं. 45/2013 से सम्बन्धित अभियुक्तगण शब्बीर पुत्र सल्लर, शफीक व रफीक पुत्रगण शब्बीर तथा बब्बू उर्फ अब्दुल हमीद पुत्र हनीफ निवासीगण तालकुण्डा टोला केवटवी थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दिण्डत कराया गया। उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायाधीश हिमांशु दयाल श्रीवास्तव, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-02 सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 1,40,000 के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया। सजा कराये जाने में राजेश त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार का0 मोहम्मद नसीम का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस-नोट दिनांक 24.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़िकयों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.02.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के सिंहेश्वरी मंदिर, बुद्धा पार्क, उद्यान पार्क, रेलवे स्टेशन स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

02- महिला आरक्षी रीन् एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोटः दिनांक 24.02.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा बांसी मार्किट ,सनई चौराहा ,साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 35 वाहनों से 37500/-रू0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस-नोट दिनांक 24.02.2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर नव युवकों, महिलाओं और लड़िकयों को महिला सुरक्षा व मिशन शक्ति के संबंध में जानकारी दी गई तथा मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 24.02.2023 को शक्ति मोबाइल/प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0िन0 पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर के सिंहेश्वरी मंदिर, बुद्धा पार्क, उद्यान पार्क, रेलवे स्टेशन स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01- महिला उ0नि0 पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

02- महिला आरक्षी रीन् एण्टी रोमियो टीम जानपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोटःदिनांक 24.02.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 24.02.2023 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह क्षेत्राधिकारी यातायात के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार द्वारा बांसी मार्किट ,सनई चौराहा ,साड़ी तिराहा आदि स्थानों पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाया गया एवं रिफ्लेक्टर चस्पा किया गया तथा यातायात नियम का पालन न करने वाले 35 वाहनों से 37500/-रू0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।